न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **408/2019 (181/2019)**
GCMS NO. : 2019/00116

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1.जगाराम पुत्र रामचन्द्र जाति सिरवी निवासी विजयगढ़ टूंकडा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र सिंह बहारठ, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 25/07/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा विजयगढ़ पटवार हल्का टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 467 रकबा 06–15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 577 रकबा 04–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 11–13 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 580 रकबा 00–18 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 581 रकबा 15–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 582 रकबा 02–17 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 584 रकबा 06–09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 585 रकबा 23–18 बीघा किस्म चाही प्रथम. खसरा नम्बर 586 रकबा 20–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 587 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 589 रकबा 31–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 07–12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 591 रकबा 57–06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 298 रकबा 12–14 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। इसी प्रकार सरहद मौजा निम्बेडा खुर्द पटवार हल्का टूंकडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 156 रकबा 00–12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 157 रकबा 04–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 158 रकबा 00–05 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 159 रकबा 01–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 162 रकबा 11–04 बी[illegible] चाही प्रथम, खसरा नम्बर 163 रकबा 09–02 बीघा किस्म [illegible] नम्बर 168 रकबा 11–07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा न[illegible] बीघा कि[illegible]रानी अव्वल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 182 रकबा 31-03 बीघा किस्म चाही प्रथम आई हुई है। उपरोक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में वादी अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 30-40 वर्षो से शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्तकार करते आ रहे है तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादी के पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादी एवं वादी के पिता का लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम को खसरा नम्बर 467 में नगला पुत्र राजू नाम दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591 में जगला पुत्र राजू दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र है। वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में भी वादी व वादी के पिता का नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है, जो वादपत्र के साथ संलग्न है। इसी प्रकार मौजा निम्बेड़ा खुर्द पटवार हल्का टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 162, 163, 168, 169, 182 में वादी व वादी के पिता का नाम जगा पुत्र रायचन्द्र दर्ज कर दिया। जबकि वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। वादी व वादी के पिता का नाम वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है। इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 20.08.2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया। अतः वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी व वादी के पिता का नाम गलत इन्द्राज होने से वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है, न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है। सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम व पिता के नाम की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का कथन किया इसलिये सहखातेदारो के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है, इसलिये सहखातेदारों को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है इसलिए अनुमति बाबत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.08.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम निम्बेड़ा खुर्द (टूकड़ा) तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम विजयगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खसरा नम्बर 447, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 298 व राजस्व ग्राम निम्बेडा खुर्द खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 162, 163, 168, 169, 182 में वादी व अन्य सहखातेदार के नाम खातेदारी भूमि है। मजमा-ए-आम (प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम टूंकडा) में जॉच करने पर पाया कि वादी का सही नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र है। वादी के आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रति में भी वादी का नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र है। मजमा-ए-आम में जॉच व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादी का सही नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र करना उचित है। वादी का सही नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र करना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं वादी जगाराम पुत्र रामचन्द्र का एवं अन्य गवाह रावतराम पुत्र रामचन्द्र व चोलाराम पुत्र पूनाराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. ग्राम निम्बेडाखुर्द की जमाबन्दी संवत् 2017-2020 (प्रदर्श-1), संवत् 2025-2028 (प्रदर्श-2) के खसरा नम्बर 467 में 'जगला पि0 राजू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के लिए कालान्तर में ग्राम विजयगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 (प्रदर्श-3), संवत् 2076-2079 में 'नगला पुत्र राजू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज की गई।
2. ग्राम निम्बेडाखुर्द की जमाबन्दी संवत् 2017-2020 (प्रदर्श-1), संवत् 2021-2024 (प्रदर्श-4), संवत् 2025-2028 (प्रदर्श-2) के खसरा नम्बर 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591 में 'जगला पि0 राजू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान के लिए कालान्तर में ग्राम विजयगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 (प्रदर्श-3), सवंत् 2076-2079 में 'लाला पि0 राजू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज की गई।
3. ग्राम निम्बेडाखुर्द की जमाबन्दी संवत् 2017-2020 (प्रदर्श-1), संवत् 2021-2024 (प्रदर्श-4), संवत् 2025-2028 (प्रदर्श-2), संवत् 2074-2077 (प्रदर्श-5) के खसरा नम्बर 298 में 'जगला पि0 राजू' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।
4. ग्राम निम्बेडाखुर्द की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 (प्रदर्श-5) के खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 162, 163, 168, 169, 182 में 'जगाराम पुत्र रायचन्द' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।
5. वादी जगाराम पुत्र रामचन्द्र के साक्ष्य शपथ-पत्र के अनुसार वादी के पिता के फौत होने पर फौतेदगी [illegible] में वादी एवं वादी के पिता का लाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम को खसरा नम्बर 467 में नगला पुत्र राजू तथा खसरा नम्बर 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591 में जगला पुत्र राजू दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार निम्बेडा खुर्द के खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 162, 163, 168, 169, 182 में वादी व वादी के पिता का नाम जगा पुत्र रायचन्द्र दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान-पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में जगाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। अतः राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण के समय गलत इन्द्राज हो गया उसे दुरूस्त कर सही नाम की प्रविष्टि दर्ज करवाने का निवेदन किया। अन्य शहादत में गवाह रावतराम पुत्र रामचन्द्र का साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। गवाह रावतराम ने अपने शपथ-पत्र में यह सशपथ कथन किये कि "मैं वादी का सगा बडा भाई हुँ। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं वादी के पिता के गलत इन्द्राज की जगह दस्तावेजात अनुसार जगाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जाना सही है।" अन्य शहादत में गवाह चोलाराम पुत्र पूनाराम का साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। गवाह चोलाराम ने अपने शपथ-पत्र में यह सशपथ कथन किये कि "मैं वादी का काका बेटा भाई हुँ एवं वादी व वादी के पिता को भलीभांति जानता व पहचानता हुँ।" गवाह चोलाराम ने भी अपने शपथ-पत्र में वादग्रस्त आराजी में वादी एवं वादी के पिता के गलत इन्द्राज की जगह दस्तावेजात अनुसार जगाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज किये जाने के कथन किया।

6. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श-6ए (आधार कार्ड), प्रदर्श-7ए (राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड) दस्तावेजो में वादी व वादी के पिता का नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र है।

7. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम विजयगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खसरा नम्बर 447, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 298 व राजस्व ग्राम निम्बेडा खुर्द खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 162, 163, 168, 169, 182 में जाँच करने पर पाया कि वादी का सही नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र है। वादी के आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रति में भी वादी का नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र है। मजमा-ए-आम में जाँच व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादी का सही नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र करना उचित है। वादी का सही नाम जगाराम पुत्र रामचन्द्र करना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ-पत्र एवं गवाह स्वयं वादी जगाराम पुत्र रामचन्द्र एवं गवाह रावतराम पुत्र रामचन्द्र व चोलाराम पुत्र पूनाराम का शपथ-पत्र में प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी स्थित मौजा विजयगढ़ पटवार हल्का टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 467 रकबा 06-15 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

किस्म बारानी दोयम के भू-अभिलेख में दर्ज वादी व वादी के पिता के नाम की प्रविष्टि 'नगला पुत्र राजू' के स्थान पर 'जगाराम पुत्र रामचन्द्र' एवं खसरा नम्बर 577 रकबा 04-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 11-13 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 00-04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 580 रकबा 00-18 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 581 रकबा 15-18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 582 रकबा 02-17 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 584 रकबा 06-09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 585 रकबा 23-18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 586 रकबा 20-02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 587 रकबा 00-02 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 589 रकबा 31-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 07-12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 591 रकबा 57-06 बीघा किस्म चाही प्रथम के भू-अभिलेख में दर्ज वादी व वादी के पिता के नाम की प्रविष्टि 'लाला पुत्र राजू' के स्थान पर 'जगाराम पुत्र रामचन्द्र' एवं खसरा नम्बर 298 रकबा 12-14 बीघा किस्म बारानी दोयम के भू-अभिलेख में दर्ज वादी व वादी के पिता के नाम की प्रविष्टि 'जगला पुत्र राजू' के स्थान पर 'जगाराम पुत्र रामचन्द्र' एवं सरहद मौजा निम्बेड़ा खुर्द पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 156 रकबा 00-12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 157 रकबा 04-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 158 रकबा 00-05 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 159 रकबा 01-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 162 रकबा 11-04 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 163 रकबा 09-02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 168 रकबा 11-07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 169 रकबा 10-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 182 रकबा 31-03 बीघा किस्म चाही प्रथम के के भू-अभिलेख में दर्ज वादी व वादी के पिता के नाम की प्रविष्टि 'जगाराम पुत्र रायचन्द्र' के स्थान पर 'जगाराम पुत्र रामचन्द्र' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा विजयगढ़ पटवार हल्का टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 467 रकबा 06-15 बीघा किस्म बारानी दोयम के **भू-अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***नगला पुत्र राजु*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ- ***'नगला पुत्र राजु'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** एवं खसरा नम्बर 577 रकबा 04-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 11-13 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 00-04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 580 रकबा 00-18 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 581 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण (पाली)

15–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 582 रकबा 02–17 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 584 रकबा 06–09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 585 रकबा 23–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 586 रकबा 20–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 587 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 589 रकबा 31–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 07–12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 591 रकबा 57–06 बीघा किस्म चाही प्रथम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***लाला पुत्र राजु*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'लाला पुत्र राजु'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** एवं खसरा नम्बर 298 रकबा 12–14 बीघा किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***जगला पुत्र राजु*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'जगला पुत्र राजु'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार सरहद मौजा निम्बेडा खुर्द पटवार हल्का टूंकडा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 156 रकबा 00–12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 157 रकबा 04–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 158 रकबा 00–05 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 159 रकबा 01–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 162 रकबा 11–04 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 163 रकबा 09–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 168 रकबा 11–07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 169 रकबा 10–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 182 रकबा 31–03 बीघा किस्म चाही प्रथम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***जगाराम पुत्र रायचन्द्र*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'जगाराम पुत्र रायचन्द्र'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/07/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

1.जगाराम पुत्र रामचन्द्र
जाति सिरवी निवासी विजयगढ़
टूंकडा तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 408/2019 (181/2019)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता, वादीग मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा विजयगढ़ पटवार हल्का टूकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 467 रकबा 06–15 बीघा किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***नगला पुत्र राजु*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियॉं– ***'नगला पुत्र राजु'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** एवं खसरा नम्बर 577 रकबा 04–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 578 रकबा 11–13 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 579 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 580 रकबा 00–18 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 581 रकबा 15–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 582 रकबा 02–17 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 584 रकबा 06–09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 585 रकबा 23–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 586 रकबा 20–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 587 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 589 रकबा 31–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 590 रकबा 07–12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 591 रकबा 57–06 बीघा किस्म चाही प्रथम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***लाला पुत्र राजु*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियॉं– ***'लाला पुत्र राजु'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** एवं खसरा नम्बर 298 रकबा 12–14 बीघा किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***जगला पुत्र राजु*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियॉं– ***'जगला पुत्र राजु'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार सरहद मौजा निम्बेडा खुर्द पटवार हल्का टूंकडा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 156 रकबा 00–12 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 157 रकबा 04–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 158 रकबा 00–05 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 159 रकबा 01–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 162 रकबा 11–04 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 163 रकबा 09–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 168 रकबा 11–07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 169 रकबा 10–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 182 रकबा 31–03 बीघा किस्म चाही प्रथम के **भू–अभिलेख में** वादी व वादी के पिता का नाम ***जगाराम पुत्र रायचन्द्र*** अंकित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'जगाराम पुत्र रायचन्द्र'*** *के स्थान पर* ***'जगाराम पुत्र रामचन्द्र'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **25/07/2023** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला–पाली (राज०)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	08.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested